झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा
द्वादश (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 19.01.2018 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्रीमती विमला प्रधान स0वि0स0	गुमला जिला अन्तर्गत पालकोट प्रखण्ड के 14 पंचायतों में कृषकों की संख्या अत्याधिक है जिसमें SC/ST के अलावे अन्य समुदाय के लोग कृषि पर ही आश्रित है। सिंचाई सुविधा नहीं होने के कारण रब्बी/खरीफ फसल के साथ वृहत पैमाने पर आमों के बगीचा हैं और सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं होने से सभी कृषकों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। मनरेगा के माध्यम से सिर्फ SC/ST समुदाय को ही सिंचाई कूप उपलब्ध हो रहा है अन्यों को नहीं। अतएव SC/ST के साथ-साथ अन्य समुदायों को भी सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सरकार का ध्यान सदन के माध्यम से आकृष्ट करती हूँ।	जल संसाधन
02-	श्री भानु प्रताप शाही एवं श्री प्रकाश राम स0वि0स0	झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची में पद की प्रत्याशा में काम कर रहे दैनिक कर्मियों में से कुछ दैनिक कर्मी को वर्ष 2010 में एक या दो तीन के लिए अवकाश को कारण बनाकर तत्कालीन अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी सिंह के द्वारा हटा दिया गया। जबकि तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिबू सोरेन तथा तत्कालीन मुख्य सचिव श्री शिव वसंत के द्वारा हटाये गये कर्मियों की पुनः वापसी की भी आदेश की गयी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता

क्र0पृ030

01.	02.	03.	04.
		ज्ञातव्य है कि ये सारे कर्मी परिषद के गठन के समय से ही काम कर रहे है। मेरे द्वारा विधान सभा की याचिका समिति में याचिका संख्या-29/2016 दायर की गयी है। उस याचिका में सभापति महोदया श्रीमती मेनका सरदार जी द्वारा एवं सभी सदस्यों के द्वारा झारखण्ड अधिविद्य परिषद् के सचिव को नोटिस किया गया था कि एक सप्ताह के अन्दर पुनः बहाल किया जाए जो अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अतः हम सभी सदन के माध्यम से कुछ हटाये गये कर्मियों को पुनः बहाल करने के लिए सदन को ध्यानाकृष्ट कराते है।	
03-	श्री राज सिन्हा स०वि०स०	"वित्त विभाग, झारखण्ड राँची के संकल्प संख्या-217, दिनांक- 18.01.17 के आलोक में 01 जनवरी, 2016 के प्रभाव से केन्द्र के अनुरूप झारखण्ड राज्य के कर्मियों के लिए भी सातवाँ पुनरीक्षित वेतन लागू है, लेकिन केन्द्रीय कर्मियों के अनुरूप मकान भाड़ा, भत्ता, परिवहन भत्ता एवं चिकित्सा भत्ता अब तक झारखण्ड में पुनरीक्षित नहीं किया गया है। भारत सरकार ने सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों के लिए 01 जुलाई, 2017 के प्रभाव से पुनरीक्षित मकान भाड़ा भत्ता, परिवहन एवं चिकित्सा भत्ता लागू किया है। X,Y एवं Z श्रेणी के शहरों के लिए क्रमशः 24,16 एवं 8 प्रतिशत की दर से मकान भाड़ा भत्ता दिया जा रहा है, लेकिन झारखण्ड राज्य में राज्यकर्मियों के लिए उक्त पुनरीक्षित दर पर मकान भाड़ा भत्ता लागू नहीं किया गया है। इस कारण एक ही शहर या स्थान में कार्यरत केन्द्रीय कर्मियों एवं राज्य कर्मियों को मिलने वाला मकान भाड़ा भत्ता, परिवहन भत्ता एवं चिकित्सा भत्ता में असमनता है,	योजना सह- वित्त

01.	02.	03.	04.
		जबकि स्थान विशेष में कर्मियों को आवासित होने, परिवहन एवं चिकित्सा में एक समान ही व्यय करने होते है। अतः मैं झारखण्ड राज्य कर्मियों को केन्द्र कर्मियों के अनुरूप मकान भाड़ा भत्ता, परिवहन भत्ता एवं चिकित्सा भत्ता शीघ्र स्वीकृत करने की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	
04-	श्री सुखदेव भगत स०वि०स०,	J.P.S.C. के प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण के नियम का पालन नहीं किया जा रहा है जो संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है। अतः मैं J.P.S.C. की परीक्षा में आरक्षण के नियमों का पालन कराने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहता हूँ।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
05-	श्री शिवशंकर उराँव स०वि०स०	गुमला जिला अत्यंत पिछड़ा जिला है। जिला की आबादी मूल रूप से कृषि आधारित जीविकोपार्जन पर आश्रित है। यहाँ किसी प्रकार का कोई कल-कारखाना नहीं है और लोगों को अपनी रोजी-रोजगार की तलाश में राज्य के बाहर पलायन करना पड़ता है। यही नहीं गुमला जिला में रोजी-रोजगार के अवसरों की कमी एवं वन क्षेत्र होने के कारण नक्सलवाद की गतिविधियों को पनपने का अवसर मिल गया है। आवागमन के साधन के रूप में सड़क मार्ग की सीमित उपलब्धता के कारण नये रोजी-रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं। जबकि गुमला जिला के पठारी इलाकों में बॉक्साईड जैसे खनिज की बहुतायातता के साथ हीरा एवं सोने के विशाल खनिज भंडारों का भी पता लगा है। जिससे इस क्षेत्र के विकास के नये द्वार खुलने की प्रत्याशा है। इस दृष्टि से आवागमन का जनसुलभ साधन रेलवे लाईन द्वारा लोहरदगा को गुमला से लगभग 56 कि०मी० जोड़ने की नितांत आवश्यकता है। गुमला जिला के निवासियों की यह मांग वर्ष 1973 ई० से लम्बित चली आ रही है। लोहरदगा, गुमला रेलवे लाईन जुड़ने से न केवल गुमला जिला बल्कि पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला के लोगों को भी इसका लाभ होगा। साथ ही छ ग राज्य के	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी

01.	02.	03.	04.
		निकटवर्ती पठारी इलाकों में प्रचुर मात्रा में बॉक्साईड है। जिसके खनन एवं सुगमता पूर्वक ढुलाई का मार्ग भी होगा और देश के राजस्व में वृद्धि हो सकेगी। मैं सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि गुमला जिला वासियों की लोहरदगा-गुमला (मांझाटोली छ ग सीमा तक) रेलवे लाईन बिछाये जाने की चिर लम्बित मांग को पूरा करने के लिए राज्य सरकार समुचित कार्रवाई करे। रेल लाईन बिछाये जाने के लिए आवश्यक राज्यांश का प्रावधान कर रेल मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्ताव भेजे कि आगामी वित्तीय वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय रेलवे बजट में योजना सम्मिलित हो सके।	

राँची,
दिनांक- 19 जनवरी, 2018 ई०।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं०-ध्या० एवं अना०प्र०-01/2018-788/वि० स०, राँची, दिनांक- 18/1/18

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा०सदस्यगण/ मा०मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय राँची/जल संसाधन विभाग/स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग/योजना सह- वित्त विभाग/कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग एवं मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/1/18
(एस शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं०-ध्या० एवं अना०प्र०-01/2018-788/वि० स०, राँची, दिनांक-18/1/18

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा० अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

18/1/18
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।
18.01.18